बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 3028/अकादमी/प्रबंध संकाय/2022 भोपाल, दिनांक 30/08/2022

प्रति,

Corporate Institute of Science & Technology
Mataikheda Near Patel Nagar
Raisen Road Bhopal M.P.

प्रावधिक अस्थाई संबद्धता

विषयः- अस्थाई संबद्धता सत्र 2022-23 प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ:-(1)अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का पत्र क्रःCENTRAL/1-10969130753/2022/EOA दिनांक07.07.2022

2) तकनीकी शिक्षा संचालनालय पत्र कमांक 04/शैक्ष/जी/2022/काउं/1071 दिनांक 18/08/2022

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक : 30-08-2022 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30/08/2022 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यकमों की **प्रावधिक अस्थाई संबद्धता** इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पत्र दिनांक से तीन माह के अन्दर कॉलेज कोड 28 के तहत शिक्षकों एवं डायरेक्टर की नियुक्ति की जाना अनिवार्य होगा जिसकी पुष्टि हेतु औचक निरीक्षण करवाया जायेगा।

s.no	course	Branch	Status	Seats
01	MBA I new course	FULLTIME	TEMPORARY	180
02	MBA I new course (General)	FULLTIME	TEMPORARY	120

शर्ते:-

1. आगामी सत्र 2023-24 की संबद्धता की निरंतरता के लियें नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चत करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 एवं ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 3 माह के अन्दर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नही की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयो में संचालित पाठ्यकमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नही होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव

पृ0कमांक 3029/अकादमी/संबद्धता/2022 भोपाल, दिनांक 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भवन भोपाल ।
2. सचिव, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली ।
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहायक कुलसचिव, अकादमी

D:RAKESH SEN\MBA 2022-23 RENUWAL.doc